



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12112025-267589
CG-MH-E-12112025-267589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4961]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4961]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 नवम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 5116(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 11 सितम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4214 (अ) तारीख 23 सितम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, इटारसी-नागपुर शेष तीसरी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक राष्ट्रप्रकाश" और "दैनिक लोकमत टाइम्स" में तारीख 2 ओक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम अधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिला में " इटारसी – नागपूर तीसरी रेल्वे लाईन" रेल्वेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे. आर.)
1	01/अ - 65/2025-26	पिटेसुर	नागपूर (ग्रा.)	सययद रेहान अली बलद सैय्यद	15/अ	1	0.89	0.115
2				इनामुल हबीब अंजुम रिदा इनामुल हबीब अंजुम	15/ब	1	0.89	0.039
3				इनामुल हबीब अंजुम	18	1	1.58	0.169
कुल							3.36 (हे.आर)	0.323 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/Itarsi – Nagpur 3rd Line/Pitesur VIg/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th November, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 5116(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4214 dated 23 September 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely "Itarsi - Nagpur Balance 3rd line" in the district of Nagpur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "**Dainik Rashtra Prakash**" And "**Dainik Lokmat Times**" Dated 02.10.2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of "**Itarsi – Nagpur Balance 3rd line**" in the district of Nagpur in the State of Maharashtra.

Sr N o.	Land Acquisition Case No.	Name of Villag e	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.a .)	Acquisitio n area (H.a.)
1	01/A-65/2025-26	Pitesur	Nagpur (Rural)	Sayyad Rehan Ali Vald Saiyyad	15/A	1	0.89	0.155
2				Inamul Habib Anjum Rida Inamul Habib Anjum	15/B	1	0.89	0.039
3				Inamul Habib Anjum	18	1	1.58	0.169
Total							3.36 (H.a)	0.323 (H.a)

[F. No. G197/Itarsi – Nagpur 3rd Line/Pitesur Vlg/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)